

श्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल, माननीय स० वि० स० से प्राप्त
तारांकित प्रश्न सं०-18/2/2846 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>1. क्या, यह बात सही है कि भागलपुर ज़िले के गोपालपुर प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत- गोपालपुर डीमाहा में इस्माईलपुर-बिन्दटोली तटबंध के बीच बोचाही टोला में स्पर संख्या 4 एवं 5 के पास स्लुईस गेट नहीं होने से किसानों का हज़ारों एकड़ ज़मीन में पानी जमा रहता है, जिसके कारण फ़सल नहीं हो पाती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त स्थल पर जमे पानी का निकासी हेतु कब तक स्लुईस गेट निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर ज़िला के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत पंचायत-गोपालपुर डीमाहा में इस्माईलपुर- बिंदटोली तटबंध का स्पर सं०-4 एवं 5 निर्मित है। उल्लेखनीय है कि इस रीच में कन्ट्रीसाइड की भूमि का स्तर नदी भाग की भूमि की तुलना में नीचे है। अतः मानसून के बाद प्रश्नगत स्थल पर स्लुईस गेट निर्माण कर जल निकासी किया जाना तकनीकी रूप से सम्भाव्य नहीं है।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-99/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/2846 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-99/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-99/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(क0)-05-99/2026-

1245

पटना, दिनांक-

17/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/03/26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

16/03/26